भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 712

दिनांक 04/02/2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0

712. श्री विजय बघेलः
श्री कृपानाथ मल्लाहः
श्रीमती पूनमबेन माडमः
श्री चंदन चौहानः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री राहुल सिंह लोधीः
श्री अशोक कुमार रावतः
श्री भोजराज नागः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
श्री मनोज तिवारीः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री रमेश अवस्थीः
डॉ. संजय जायसवालः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री यदुवीर वाडियारः
श्री रोडमल नागरः
श्रीमती डी. के. अरुणाः
श्री आलोक शर्माः
डॉ. हेमांग जोशीः
श्री महेश कश्यपः

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 के आरंभ के बाद से आयोजित युवा संसद बैठकों की संख्या और पोर्टल के माध्यम से भाग लेने वाले नागरिकों की संख्या सहित प्रत्येक सहभागिता माध्यम के अंतर्गत सहभागिता की स्थिति क्या है.

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, लघु संस्थानों और विभिन्न सामाजिक समूहों में योजना की समावेशिता, पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का पाठ्यक्रम एकीकरण, क्षमता निर्माण या डिजिटल नवाचारों के माध्यम से योजना को और मजबूत करने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मध्य प्रदेश के भोपाल और सीहोर जिलों में उक्त योजना का अब तक क्या प्रभाव रहा है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क), (ख) और (ङ) मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) वेब पोर्टल के एक उन्नत संस्करण की शुरूआत की है जिसे एनवाईपीएस 2.0 के नाम से जाना जाता है। पूर्व संस्करण में प्रतिभागिता केवल मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित थी। तथापि, एनवाईपीएस 2.0 के तहत देश भर के सभी शैक्षणिक संस्थान, समूह और यहां तक कि एक नागरिक भी क्रमश: संस्थागत प्रतिभागिता, समूह द्वारा प्रतिभागिता और व्यक्तिगत प्रतिभागिता के माध्यम से भाग ले सकता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण इलाकों, छोटे संस्थानों और समूहों सहित देश के सभी नागरिकों को चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, क्षेत्र और निवास स्थान के हों, की भागीदारी को संभव बनाता है। इसके अलावा, एनवाईपीएस के दायरे को बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों; राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों; विभिन्न शिक्षा बोर्डों (सीबीएसई, सीआईएससीई) को भी लिखा है और साथ ही संसद टीवी पर समय-समय पर एक प्रचारात्मक वीडियो भी प्रसारित किया जाता है। जिले-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, युवा संसद सत्रों के संचालन और उनमें भागीदारी का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	संस्थान द्वारा भागीदारी			समूह द्वारा भागीदारी			व्यक्तिगत भागीदारी	प्रतिभागी नागरिकों/ विद्यार्थियों की कुल संख्या (क+ख+ग)
		पंजीकरणों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या (यु.सं.स. की संख्या*)	प्रतिभागी विद्यार्थियों की संख्या (क)	पंजीकरणों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या (यु.सं.स. की संख्या)	प्रतिभागी नागरिकों/ विद्यार्थियों की संख्या (ख)	प्रतिभागी नागरिकों/ विद्यार्थियों की संख्या (ग)	
1	11.09.2024 को शुरूआत से 27.01.2026 तक	4432	1536	52283	586	19	660	42376	95319

**यु.सं.स. - युवा संसद की बैठकें*

(ग) और (घ) वर्तमान में, मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

***